अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां।

	विविध वाद संख्यां 06/20–21	सरयु प्रसाद यादव बनाम सुरेश प्रसाद यादव वगैरह
आदेश का क्रम संख्यां एवं तारिख	**आदेश फलक**	

20.01.2021

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सरयू प्रसाद यादव पिता कुंजल महतो, साकिन सीरी, थाना गावां के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं राजस्व उपनिरीक्षक प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं	खाता नं	प्लॉट नं0	रकवा
सीरी	323	12,72,48,83 वगैरह	568,810,559,538 वगैरह	3.94 एकड

उक्त भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज की मांग नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों से की गयी, एवं दोनो पक्षों का सुना गया।

मौजा सीरी थाना नं 323 के अंतर्गत खाता नं 12 प्लॉट नं 568 वगैरह रकवा 0.80 एकड सर्वे रैयती खाते की है, उक्त भूमि गोरवा देवी के नाम से खरीदगी केवाला द्वारा हासिल है, जिसका लगान रसीद पंजी ।। के भोलूम 1 पेज नं 147 पर निर्गत है, जो प्रथम पक्ष के माता है।

खाता नं 72 प्लॉट नं 810 रकवा 0.28 एकड सर्वे रैयती खाते की है, उक्त भूमि प्रथम पक्ष के माता गौरवा देवी के नाम से खरीदगी केवाला के द्वारा प्राप्त है, जिसका लगान रसीद पंजी ।। के भोलूम 1 के पेज नं 363 पर निर्गत है।

खाता नं 48 प्लॉट नं 559 रकव $28^{1/4}$ एकड सर्वे रैयती खाते की है, प्रथम पक्ष के माता गौरवा देवी के नाम से खरीदगी केवाला के द्वारा प्राप्त है। लगान रसीद पंजी ।। भोलूम 1 के पेज 134 पर दर्ज है।

खाता नं 83/87 प्लॉट नं 538 रकवा 0.47 एकड सर्वे गैरमजंरूआ खास खाते की है, उक्त भूमि का लगान रसीद गौरवा देवी के नाम से पंजी ।। के भोलूम 1 के पेज 68 पर निर्गत है।

खाता नं 6/10 प्लॉट नं 817 रकवा 0.30 एकड सर्वे रैयती खाते की है, उक्त भ्झूमि का लगान रसीद पंजी।। के भोलूम 1 के पेज नं 89 पर निर्गत है।

खाता नं 6 प्लॉट नं 817 रकवा 0.17 एकड सर्वे रैयती खाते की है, लगान रसीद पंजी ।। के भोलूम 1 के पेज नं0 185 पर निर्गत है।

खाता नं 17 प्लॉट नं 429 वगैरह रकवा $1.69^{2/3}$ सर्वे रैयती खाते की है। प्रथम पक्ष के माता गौरवा देवी के नाम से केवाला प्राप्त है, एवं लगान रसीद पंजी ।। के भोलूम 1 के पेज नं0 311 पर निर्गत है।

प्रथम पक्ष के नाना कन्हाय महतो का कोई पुत्र नही था, जिसके कारण कन्हाय महतो ने अपनी पुत्री गौरवा देवी एवं सुन्दरी देवी के नाम से रजिस्ट्री केवाला

किये हैं। प्रथम पक्ष के माता की मृत्यु के पश्चात् इनके पिता ने दूसरी शादी की जिसमें तीन पुत्र हुए जो द्वितीय पक्ष सुरेश प्रसाद यादव, जितेन्द्र प्रसाद यादव एवं संदीप प्रसाद यादव है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि मेरी पहली मां के सम्पति में बराबर हिस्सा होना चाहिए। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मेरे पिता की मृत्यु 2003 में हो गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजात एवं राजस्व उप–निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत प्रथम पक्ष के दावे को पुष्टि करते हुए द्वितीय पक्ष के दावे को खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है, चुँकि मामला दखल दिहानी का बनता है।

लेखापित एवं संशोधित

20/01/2021 — 20/01/2021

अंचल अधिकारी
गावां।

अंचल अधिकारी
गावां।

Digitally signed by DEEPAK PRASAD
Date: 2022.06.14 15:42:07 +05:30
Location: 192.168.249.76